



2026:AHC:15231

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 42447 /2025

हाफिज शहनवाज़

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्षगण

आवेदकगण के अधिवक्ता

: जावेद आलम, नसीम उद्दीन,

विपक्षी पक्षगण के अधिवक्ता,

: शासकीय अधिवक्ता, संदीप त्रिपाठी

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता , विद्वान ए.जी.ए. श्री पुनीत कुमार सिंह राज्य-प्रतिवादी की ओर से सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

यह जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत अभियुक्त-आवेदक की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उसे मुकदमा अपराध संख्या 248/2025, धारा 61(2), 125-बी, 118(2), 119(1), 318(4), 351(3), 127(7), 109(1) भारतीय न्याय संहिता, 2023 तथा धारा 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धार्मिक परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, थाना शाहपुर, जनपद मुजफ्फरनगर में जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है तथा उसे इस मामले में झूठा फँसाया गया है। वह दिनांक 28.08.2025 से निरंतर जेल में निरुद्ध है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि समान परिस्थिति में सह-अभियुक्त इकराम को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 21.11.2025 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 37901/2025 में जमानत प्रदान की जा चुकी है। आगे यह भी कहा गया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा उसके न्याय से फरार होने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना की गई।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत प्रार्थना का विरोध किया, किन्तु उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में दंड की गंभीरता, उपलब्ध साक्ष्यों की प्रकृति, गवाहों के साथ छेड़छाड़ की युक्तिसंगत आशंका तथा प्रथम दृष्टया प्रकरण पर विचार करते हुए, किन्तु मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, न्यायालय यह पाता है कि जमानत प्रदान किए जाने का उपयुक्त मामला बनता है।

तदनुसार, जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अभियुक्त-आवेदक **हाफिज शहनवाज़** को उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते कि वह व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान राशि के दो विश्वसनीय जमानतदार संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन प्रस्तुत करे, निम्नलिखित शर्तों के साथ—

1. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन गवाहों को प्रभावित/भयभीत नहीं करेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।
4. आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न प्रदान की जाए।

उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में अवर न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

दिनांक : 21 जनवरी, 2026

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव,)